UPCH010016232026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट।
अग्रिम जमानत आवेदनपत्र सं0–701/2026

1. गुलजार सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र रामलखन सिंह
2. निर्मला देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी गुलजार सिंह निवासीगण सपहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट।

...आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0–282/2026
धारा–85, 80 (2), 123 भारतीय न्याय संहिता
(पुरानी धारा 498ए, 304बी, 328 भा0दं0सं0)
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कर्वी जनपद चित्रकूट।

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदनपत्र

23.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण गुलजार सिंह एवं निर्मला देवी की ओर से मु0अ0सं0–282/2026 अन्तर्गत धारा–85, 80 (2), 123 भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 498ए, 304बी, 328 भा0दं0सं0) व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कर्वी जनपद चित्रकूट के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदनपत्र शपथपत्र 4ख से समर्थित है जिसके प्रस्तर 17 के अनुसार प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र होना उल्लिखित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरविन्द कुमार सिंह की ओर से दिनॉक 23.05.2026 को थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी खुशवन्त राय नगर फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला फतेहपुर का निवासी है। वादी ने अपनी बहन पिंकी देवी की शादी दिनॉक 04.03.2024 को रमाकान्त सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया था तथा बहन बिदा होकर अपनी ससुराल सपहा गयी थी। उसकी बहन की शादी में उसके द्वारा करीब पच्चीस लाख रूपये का खर्च किया था जिसपर उसकी बहन की शादी में आठ लाख रूपये नकद व दो लाख का सामान,

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.23 16:46:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पॉच लाख का जेवर व दस लाख रूपये अन्य खर्चो में किया गया था। उसकी बहन मायके से जब पहली बार ससुराल गयी तो पिंकी देवी का पति रमाकान्त सिंह, ससुर गुलजार सिंह, सास निर्मला देवी ने पिंकी देवी से कहा कि तुम्हारे मॉ भाई ने उनकी मॉग के अनुसार दहेज नहीं दिया, जब अगली बार आना तो दो लाख रूपये नकद, चार पहिया गाड़ी लेकर आना। वादी की बहन जब बिदा होकर अपने मायके गयी और अपी मॉ व भाई से ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मॉग की बात बतायी तो वादी व उसकी मॉ ने कहा कि हम बात कर लेगें, सब सही हो जायेगा। जब वादी की बहन दूसरी बार बिदा होकर अपनी ससुराल गयी तो उपरोक्त तीनों लोग उसकी बहन पिंकी देवी से दो लाख रूपये नकद व एक चार पहिया गाड़ी की मॉग किया तो पिंकी देवी ने कहा कि उसके मॉ व भाई ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्चा किया है, अब उनकी और दहेज देने की हैसियत नहीं है जिससे नाराज होकर पति रमाकान्त सिंह, निर्मला देवी एवं गुलजार सिंह तीनों ने मिलकर पिंकी देवी को मारापीटा। वादी की बहन सब कुछ सहती रही। पिंकी देवी को दहेज के बावत उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मानसिक, शारीरिक यातनाएं दी जाती रहीं जिससे पिंकी देवी अक्सर फोन कर अपनी मॉ व वादी से कहती थी कि ये लोग उसे कम दहेज मिलने के कारण जान से मार देगें, उसे यहॉ से लिवा ले जाओ। वादी ने नात रिश्तेदारों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को लेकर पंचायत करायी लेकिन उपरोक्त तीनों लोग अतिरिक्त दहेज की मॉग पूरी किये हुए उसकी बहन को रखने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी दौरान उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। दिनॉक 23.05.2026 को समय लगभग 07 बजे सुबह जेठ अनमोल सिंह ने फोन किया कि तुम्हारी बहन मर गयी है, आकर देख जाओ। वादी अपनी मॉ एवं रिश्तेदारों को लेकर पिंकी को देखने जिला अस्पताल चित्रकूट पहुॅचे तो पता चला कि उसकी बहन को उपरोक्त ससुरालीजन ने जहर खिलाकर मार डाला है। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त दहेज लोभी ससुरालीजन पति, ससुर व सास के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है तथा उन्हें झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्तगण मृतका के सास व ससुर हैं तथा वे अपने दोनों पुत्रों की शादी के बाद से बॅटवारा करके अलग निवास करते हैं। बॅटवारा के बाद से पिंकी व रमाकान्त से कोई मतलब गरज नहीं है। उन सभी का खाना पीना अलग अलग रहता है। अभियुक्तगण ने मृतका व उसके मायके पक्ष के लोगों से कभी दहेज की मॉग नहीं किया और न ही मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया तथा न ही उसकी दहेज हत्या कारित किया है। मृतका ने स्वयं जहर खाकर आत्महत्या किया है जिसकी

वजह यह है कि अभियुक्तगण के पुत्र रमाकान्त सिंह की ससुराल देवरार थाना धाता जनपद फतेहपुर में थी जिनका पूरा परिवार फतेहपुर में मकान बनाकर रहते हैं और वहीं से शादी हुई। पिंकी देवी का मौसिया चॉदी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट का है। पिंकी देवी की मौसी की लड़की शैला देवी पत्नी प्रमोद कुमार निवासी बनकट में ब्याही है और शैला पिंकी की मौसेरी बहन है और प्रमोद कुमार जो बनकट में रहते हैं वह पिंकी के जीजा है। मृतका पिंकी की शादी लगभग डेढ साल पहले उसके जीजा प्रमोद कुमार ने रमाकान्त से करवायी थी तथा पिंकी की देखा सुनी प्रमोद कुमार के घर में हुई थी और पिंकी अपने मॉ बाप की अॅकेली लड़की थी इसलिए शादी के पूर्व अपने जीजा प्रमोद कुमार के घर में रहती थी। पिंकी अपने जीजा के घर जाने की जिद करती थी और प्रमोद कुमार अक्सर पिंकी के यहॉ आता जाता था। पिंकी का जीजा प्रमोद कुमार घटना के एक दिन पूर्व शाम को पिंकी को लिवाने आया तो पति रमाकान्त ने कहा कि नवजात शिशु की दवा चल रही है, ठीक होने पर चली जायेगी, इसके बाद प्रमोद कुमार पिंकी को कुछ सुनकर अपने घर चला गया। घटना वाले दिन सुबह रमाकान्त अपने बच्चे को गोद में लेकर गॉव की तरफ चला गया, पिंकी के जेठ, सास व ससुर दूसरे मकान में थे। पिंकी घर में अॅकेली थी जिस कारण जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। बाद में जब पिंकी का पति घर आया और देखा तो अस्पताल ले गया जहॉ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदनपत्र स्वीकार करके उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक का यह तर्क है कि अभियुक्तगण उक्त अभियोग में नामजद आरोपी हैं जिनके विरूद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तगण मृतका के ससुर व सास हैं इनकी घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन/विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। प्रस्तुत अभियोग से संबंधित मृतका का दौरान पोस्टमार्टम मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा विसरा प्रिजर्व किया गया है, विसरा परीक्षण परिणाम अप्राप्त है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत के समुचित आधार नहीं हैं।

5. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. अभिलेख पर उपलब्ध मृतका पिंकी की शव विच्छेदन आख्या के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के

कारण जॉच हेतु विसरा संरक्षित किया जाना उल्लिखित किया गया है। यह तथ्य भी अभिलेख के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि पिंकी की शादी दिनॉक 04.03.2024 को रमाकान्त सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी सपहा कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के साथ सम्पन्न हुई थी तथा मृतका पिंकी की मृत्यु उसकी ससुराल में दिनॉक 23.05.2026 को हुई है। इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में पिंकी की मृत्यु होना अभिलेख से प्रकट हो रही है। अभिलेख से यह भी प्रकट हो रहा है कि पिंकी की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई है। वादी मुकदमा अरविन्द कुमार सिंह, मृतका की मॉ पुष्पा देवी, अमर सिंह, विमल कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, रूद्रपाल सिंह ने केस डायरी के पर्चा नं0–2 में अपने धारा 180 बी0एन0एस0एस0(पुरानी धारा 161 दं0प्र0सं0) में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किये गये हैं कि अभियुक्तगण शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा उनके द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपये एवं एक चार पहिया गाड़ी की मॉग की जाती थी जिसकी पूर्ति न होने के कारण अभियुक्तगण मृतका को जहर खिलाकर मार डालने के कथन किये गये हैं। आवेदकगण/ अभियुक्तगण को मृतका के ससुर एवं सास होना बताया गया है। मामला अभी विवेचनाधीन है।

7. उल्लेखनीय है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन अपराधियों को संरक्षित करने अथवा उन्हें कारागार जाने से निवारित करने का नहीं है जिनके विरूद्ध अनैतिकता, भ्रष्ट आचरण, आर्थिक अपराध, असत्यनिष्ठ व्यवहार, शरीर एवं सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध आदि का आरोप हो तथा प्राथमिक स्तर पर ही उनके विरूद्ध किये गये अभिकथनों में स्वाभाविकता, युक्तियुक्तता एवं सदाशयता प्रकट होती हो। अन्य शब्दों में अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन अपराधियों को अनुचित संरक्षण प्रदान करने का नहीं है जिनका उद्देश्य नियमित जमानत के समय कारागार जाने से मात्र प्रतिरक्षा प्राप्त करने का हो तथा विकल्प के रूप में अग्रिम जमानत संबंधी विधिक प्राविधानों के दुरूपयोग करने का हो। इसी प्रकार अग्रिम जमानत का उद्देश्य नियमित जमानत संबंधी प्राविधानों को निष्फल करने का नहीं है बल्कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन व्यक्तियों को संरक्षित करने का है जब प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता हो कि वे अभिकथिन उस व्यक्ति को अपमानित करने या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किये गये हैं और उस व्यक्ति के द्वारा विश्वसनीय, पर्याप्त एवं विशिष्ट कारण दर्शित किया गया हो जिसका इस प्रकरण में सर्वथा अभाव है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु सम्मानित होने का मात्र लिखित अथवा मौखिक कथन पर्याप्त नहीं है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदकगण/अभियुक्तगण के

विरूद्ध लगाये गये आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण गुलजार सिंह एवं निर्मला देवी की ओर से मु0अ0सं0–282/2026 अन्तर्गत धारा–85, 80 (2), 123 भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 498ए, 304बी, 328 भा0दं0सं0) व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कर्वी जनपद चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 23.07.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड सं0–यू0पी05751